


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2026	<p>प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 87 / 2025 कौशिक कुमार भारद्वाज बनाम श्री रामसिंह राजावत उप जिला कलक्टर बांदीकुई व अन्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। श्री नवीन गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत का स्थानान्तरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के कथन पर मनन किया गया। विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्री रामसिंह राजावत उप जिला कलक्टर बांदीकुई के विरुद्ध पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 144/2025 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी कौशिक भारद्वाज बनाम श्री मति गुलाब देवी आदि को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थी कौशिक भारद्वाज पुत्र राधाकिशन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गादरवाडा ब्राह्मणान तहसील बांदीकुई जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> ( अरविन्द शर्मा ) अति. जिला कलक्टर, दौसा</p>	